क्र./जडि/मुअ(वा)/सी-1/एफ.4 (210)/पार्ट-XVI/प्रे. 1145 दिनांक 29.04.2008

आदेश

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान के बजट भाषण 2008-09 में "**मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना**" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गयी योजना को क्रियान्विति के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सिर्फ उन्हीं आवेदकों को कनेक्शन जारी किया जायेगा जो वर्तमान में स्थापित 11 के.वी. लाईन से अधिकतम 1 कि.मी. दूरी के अन्दर आते हों।

2. कम से कम 10 आवेदकों का समूह होने पर ही कनेक्शन दिये जायेंगे।

   जनजाति / रेगिस्तानी जिलों में 6 आवेदकों को ही समूह जाना जावेगा।

3. 10 घरेलू कनेक्शन जारी करने के लिये 5 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर तथा 10 से अधिक आवेदकों के समूहके लिये 5 के.वी.ए. के 2 ट्रांसफार्मर लगाये जावेंगे।

4. एल.टी. लाईन के लिये एल.टी. केबल की लम्बाई 1 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. प्रार्थना-पत्र की राशि 200 रु. प्रति कनेक्शन होगी जो लौटायी नहीं जावेगी।

6. प्रत्येक आवेदक से कनेक्शन जारी करने हेतु मात्र रु. 3500/- प्रति आवेदक लिये जायेंगे।

7. प्रत्येक समूह के लिये बनने वाली योजना की कुल लागत रुपये 2.50 लाख तक सीमित कर बनाई जावेगी।

8. इस योजना के तहत प्रथम चरण में 30 जून, 2008 तक आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेंगे।

9. 100 से कम जनसंख्या वाली आबादी को प्राथमिकता दी जावेगी (100 से अधिक आबादी की बस्तियों को राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया जावेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिनांक 13.3.2008 को स्वीकृत 13 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में 100 से कम आबादी की बस्तियों को शामिल नहीं किया जावेगा।

10. कनेक्शन देने में प्राथमिकता सबसे ज्यादा आवेदकों की संख्या वाले समूह को दी जावेगी।

ह.
(बी.एल. अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

****